

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक — प.2(8)आयु./2008

जयपुर, दिनांक — 12 7 OCT 2014

कुलसचिव
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय
जोधपुर

विषय— महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति, चौमू द्वारा आयुर्वेद
महाविद्यालय खोलने की सम्बद्धता के क्रम में।

संदर्भ— आपका पत्रांक 5349 दिनांक 15.10.2014 ।

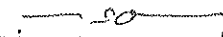
.....

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति, चौमू द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर रोड, हारोटा, चौमू (राज.) खोलने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के कराये गये निरीक्षण तथा विद्या परिषद् के अनुशंसा व अनुमोदन के आधार पर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 की धारा 35(4) के अन्तर्गत सत्र 2014-15 हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेद महाविद्यालय, चौमू में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति एतद्वारा जारी की जाती है।


(तारा चन्द मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
2. निजी सचिव, कुलपति महोदय राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. प्राचार्य, महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर रोड, हारोटा, चौमू — जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव